



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के 04 अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व ₹60,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 195/1990 धारा- 307/302/34 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय ए०डी०जे०-प्रथम जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.कामता सिंह उर्फ कल्लू पुत्र अमोल सिंह 2.शिवभान सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह 3.रविभान सिंह पुत्र रज्जन सिंह 4.राजेश सिंह पुत्र लालजी सिंह समस्त निवासीगण ग्राम भौली थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व प्रत्येक को ₹15,000- ₹15,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी  
श्री मणिकर्ण शुक्ला



विवेचक-  
उ०नि० श्री  
राजाराम सिंह



पैरोकार- थाना कुरारा  
का० रजनीश कुमार